Citizen's/ Stakeholder's Charter of NITI Aayog

VISION and MISSION

1.

1. Vision

To provide data based policy inputs for making India the 3rd largest economy by 2047 while achieving Sustainable Development Goals including employment for all by 2030 through transparent governance; effective and accountable public delivery services; fostering competitive and cooperative federalism and nurturing a robust eco-system for innovation and frontier technologies .

2. Mission

For achieving this vision, NITI Aayog would provide specialized inputs – strategic, functional and technical to Prime Minister and the Government at all levels (Centre as well as States). The policy interventions would include but not limited to agriculture, social sectors (including nutrition, health, education and social upliftment), innovation, frontier technologies, manufacturing & services sectors, smart urbanization, mobility, clean energy, improved governance, development of aspirational districts and so on. While doing so, the following objectives of NITI Aayog as indicated in the Cabinet Resolution dated January 1, 2015 for setting up of NITI Aayog would be kept in view:-

i. To evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of States in the light of national objectives.

ii. To foster cooperative federalism through structured support initiatives and mechanisms with the States on a continuous basis, recognizing that strong States make a strong nation.

iii. To develop mechanisms to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher levels of government.

iv. To ensure, on areas that are specifically referred to it, that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy.

v. To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefitting adequately from economic progress.

vi. To design strategic and long term policy and programme frameworks and initiatives, and monitor their progress and their efficacy. The lessons learnt through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course corrections.

vii. To provide advice and encourage partnerships between key stakeholders and national and international like-minded Think Tanks, as well as educational and policy research institutions.

viii. To create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners and other partners.

ix. To offer a platform for resolution of inter-sectoral and inter-departmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda.

x. To maintain a state-of-the-art Resource Centre, be a repository of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development as well as help their dissemination to stake-holders.

xi. To actively monitor and evaluate the implementation of programmes and initiatives, including the identification of the needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery.

xii. To focus on technology up-gradation and capacity building for implementation of programmes and initiatives.

xiii. To undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of the national development agenda, and the objectives mentioned above.

STAKEHOLDERS AND SERVICE STANDARDS/ TIMELINES

3. Stakeholders

Achieving the Vision requires efforts across multiple fronts and through collaborative and competitive federalism, working not only with Central Ministries, State Governments and third tier of the Government, but also other stakeholders viz. academia, think tanks, foreign Governments, multilateral institutions, civil society organisations/ NGOs, Public Sector Enterprises, Autonomous Bodies, industry associations, representatives of public (elected or otherwise) and other relevant organizations or citizens at large. For specific initiatives such as Atal Innovation Mission, the clients would also include schools (for setting up Tinkering Labs) and specified organisations seeking assistance for setting up Incubation Centres. Besides, for NGO Darpan portal, NITI Aayog receives online applications from NGOs seeking registration. Under research scheme, applications are received for conduct of research studies (solicited or unsolicited), for organizing workshops, seminars, as also for non-financial logo support.

4. **Timelines/ Service Standards**

NITI Aayog strives to adhere to timelines as prescribed as per guidelines issued by the Government from time to time with regard to references including for proposals for Expenditure Finance Committee, Standing Finance Committee, policy matters from Ministries, State Governments and various other references from Members of Parliament, Members of State Legislatures, industry associations, academia, think tanks and citizens at large. For certain categories such as EFC/ SFC/ Cabinet Committee notes, references from prescribed by the Government and applicable to all Ministries/ Departments. If no such time limit is prescribed, NITI endeavours to respond within a maximum period of 30 working days. Subject wise service standards in terms of responses is given in the following table:-

Sl.No.	Services Rendered	Clients/stake holders	Service Standard (working days unless specified)
	Atal Tinkering Labs (ATLs)		
1	Shortlist announcement of ATL Applicants from day of closure of ATL application on website	Schools (minimum Grade VI – X) managed by Government, local body or private trusts/society.	90 days
2	Disbursement of Grant from day of receipt of all valid documents from ATL Applicant		45 days subject to availability of funds
3	Response to any query from ATL applicant		5 days
	Atal Incubation Centres (AICs)		
4	Shortlist announcement of AIC Applicants from day of closure of AIC application on website	Universities, industry, social enterprises, and research institutions.	90 Days
5	Disbursement of Grant from day of receipt of all valid documents from ATL Applicant		45 days subject to availability of funds
6	Response to any query from AIC Applicant		5 days
	NGO Darpan Portal		
7	Providing Registration/Unique Identification No upon uploading documents & verification of credentials	Voluntary Organisations/ Non GovernmentalOrganisations	48 hours
8	Change in NGO information/credentials e.g. PAN number, Officer Bearers, Contact details etc.		7 days

9	Allowing Branch Offices of Parent Organization to Sign-Up on NGO Darpan Portal using PAN number of parent body.		10 days
10	Delete/ Archive/Retrieve of NGOs/ VOs on request from head of the Organization.		7 days
	Research Scheme of NITI Aayog		
11	Examination of proposals of research studies	Academic institutes, Research organizations, Autonomous bodies, Consulting firms, Think Tanks and others	45 days
12	Examination of proposals for seminar grants		30 days
13	Release of first instalment after issuance of Letter of Approval and completion of formalities		15 days
14	Release of last instalment after closure of study and completion of formalities		30 days
15	Examination of proposals for logo support		15. ays

5. Grievance Redressal and applications under RTI Act

5.1 An internal system (basedon CPGRAMS) is in place to streamline the process of acceptance of letters, statements, queries, or other correspondence, and respond in a manner prescribed as per guidelines of CPGRAMS. For all other grievances received directly by NITI Aayog, endeavor shall be to examine the same and respond to the applicant within 30 working days.

5.2 For Grievance Redressal the existing portal may be used by clicking on to https://pgportal.gov.in/

5.3 There is an elaborate system in place for furnishing information sought by citizens under Right to Information (RTI) Act within the timelines prescribed under the Act. Steps have also been taken for *suo moto* disclosures under the RTI Act, details of which are available at the NITI website viz. niti.gov.in. For filing of RTI applications the existing portal may be used by clicking on to https://rtionline.gov.in/

6. NODAL OFFICERS

6.1 NITI Aayog has appointed nodal officers for specific areas of public importance. The concerned officers and their coordinates are set out below. The citizens are requested to contact the relevant officers basis their queries or grievances for early response/ resolution.

Sl.No.	Subject	Nodal Officer	Address (Room No., NITI Aayog)	Email	Telephone
1	RTI Act related queries	**Sh Sushil Ekka, Deputy Secretary**	312	s.ekka@nic.in	23096745
2	Grievance Redressal	**Shri G. Jagannath, Deputy Secretary**	409	g.jagannath@nic.in	23096598
3	Atal Innovation Mission related queries	**Sh Pitambar Sahoo, Head (Admn.)**	C-035	sahoop.39@gov.in	23042809
4	DMEO related queries	**Sh Raj Pal Singh, Senior Research Officer**	C-021	rajpalsingh.62@gov.in	23096257
5	Research related queries	**Sh. Kulwant Rana Deputy Secretary**	401	rana.kulwant@nic.in	23096749
6	NGO Darpan	**Shri R N Mundhe, SRO**	321(5)	rn.mundhe@gov.in	23042718
7	Vigilance related matters	**Shri Manoj Kumar Gangeya Director and CVO**	220A	m.gangeya@gov.in	23096718

7. **Nodal Appellate Authority for Public Grievances Appeals**

7.1 A Nodal Appellate Authority for Public Grievance Appeals, has been appointed in NITI Aayog to redress any appeal against Public Grievance Petitions. The citizens are requested to contact the Nodal Appellate Authority in case they are not satisfied with the reply given to their Public Grievances Petitions for early response/ resolution.

Name	Designation	Address (Room No., NITI Aayog)	Email	Telephone
Shri Prem Singh	Adviser	232	prem.bogzi@ias.nic.in	23096816

नीति आयोग का नागरिक हितधारक चार्टर /

विज़न और मिशन

1. विज़न

पारदर्शी शासनप्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को ;प्रभावी और जवाबदेह सार्वजनिक वितरण सेवाओं ; बढ़ावा देने और नवाचार एवं सीमांत प्रौद्योगिकियों के लिए मजबूतइकोसिस्टम का पोषण करने के माध्यम से तक 2047 तक सभी के लिए रोजगार सहित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2030 ए डेटा आधारित नीतिगत इनपुट प्रदान करना।भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लि

2. मिशन

इस विज़न को साकार करने के लिए नीति आयोग प्रधान मंत्री ,और सभी स्तरों पर (केंद्र और राज्य) कार्यात्मक और तकनीकी प्रदान करेगा। नीतिगत हस्तक्षेपों में ,रणनीतिक - सरकारों को विशिष्ट इनपुट ,(शिक्षा और सामाजिक उत्थान सहित ,स्वास्थ्य ,पोषण) सामाजिक क्षेत्र ,कृषिनवाचारसीमांत , विनिर्माण और सेवा क्षेत ,प्रौद्योगिकियांर ,बेहतर शासन ,स्वच्छ ऊर्जा ,गतिशीलता ,स्मार्ट शहरीकरण , ,परंतु इतने तक ही सीमित नहीं होगा। ऐसा करते समय ,आकांक्षी जिलों का विकास आदि शामिल होंगे जैसा कि नीति आयोग की स्थापना के ,योग के निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगानीति आ 2015 ,जनवरी 01 लिएके मंत्रिमंडल संकल्प में दर्शाया गया है :

i. राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओंक्षेत्रों और रणनीतियों के एक साझा विज़न का विकास करना। ,

ii. यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैंराज्यों के साथ , सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

iii. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए तंत्रों का विकास करना और इनको उत्तरोतर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर पर एकत्र करना।

iv. यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित किया गया है।

v. हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देनाजिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से , लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो सकता है।

vi. कार्यनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और प्रभाव की निगरानी करना। निगरानी और फीडबैक के माध्यम से सीखे गए सबक का प्रयोग आवश्यक मध्यावधि संशोधन सहित नवोन्मेषी सुधार करने के लिए किया जाएगा।

vii. महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ-स्थाओं को सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान सं प्रोत्साहित करना।

viii. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञोंवृत्तिकों त ,था अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञानउद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना। ,नवोन्मेष ,

ix. विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्क्षेत्रक और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना।

x. अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का अनुरक्षण करनासुशासन पर अनुसंधान तथा सतत और , न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का भण्डार बनना और साथ ही उन्हें हितधारकों हुंचाने में भी मदद करना।तक प

xi. आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथसाथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का - सक्रियता से मूल्यांकन और निगरानी करनाताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं , को प्रबल बनाया जा सके।

xii. कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना।

xiii. ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लागू करने और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

<u>हितधारक और सेवा मानक समय सीमा /</u>

3. हितधारक

इस विज़न को साकार करने के लिए सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से कई मोर्चों पर प्रयासों की आवश्यकता है तथा न केवल केंद्रीय मंत्रालयोंराज्य सरकारों और सरकार के तीसरे स्तर ,

बल्कि अन्य हितधारकों जैसे कि शैक्षणिक सम ,के साथ काम करने की आवश्यकता हैुदाय ,थिंक टैंक , -गैर / नागरिक समाज के संगठनों ,बहुपक्षीय संस्थाओं ,सरकारों विदेशीसरकारी संगठनोंसार्वजनिक क्षेत्र , और अन्य (निर्वाचित या अन्यथा) जनता के प्रतिनिधियों ,उद्योग संघों ,स्वायत्त निकायों ,उपक्रमों संबंधित संगठनों या समग्र रूप से नागरिकों के साथ काम करने की आवश्यकता है। अटल नवाचार मिशन जैसी विशिष्ट पहलों के लिएक्लाइंट ,ों में स्कूल और (टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए) विशिष्ट संगठन भी शामिल होंगे जो इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त करने के एनजीओ दर्पण प ,इच्छुक हैं। इसके अलावाोर्टल के लिए नीति आयोग पंजीकरण कराने के इच्छुक एनजीओ से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करता है। अनुसंधान योजना के तहतप्रार्थित) अनुसंधान अध्ययन , -साथ गैर-संगोष्ठियों के आयोजन के साथ ,कार्यशालाओं ,करने (या अप्रार्थितवित्तीय लोगो समर्थन के लिए भी आवेदन प्राप्त किए जाते हैं।

4. समय सीमा मानक सेवा /

नीति आयोग व्यय वित्त समितिराज्य सरकारों के ,मंत्रालयों ,स्थायी वित्त समिति के प्रस्तावों , ,शैक्षणिक समुदाय ,उद्योग संघों ,राज्य विधानमंडल के सदस्यों ,नीतिगत मामलों और संसद सदस्यों थिंक टैंक और समग्र रूप से नागरिकों से विभिन्नअन्य संदर्भों सहित संदर्भों के संबंध में सरकार द्वारा समयसमय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा का पालन करने का प्रयास - सरकार ,मंत्रिमंडल समिति की टिप्पणियों के लिए / एसएफसी / करता है। कुछ श्रेणियों जैसे कि ईएफसी द्वारा संदर्भ प्रपत्र निर्धारित हैं और सभी मंत्रालयों विभागों पर लागू हैं। यदि ऐसी कोई समय सीमा / कार्य दिवस की अवधि के भीतर जवाब देने का प्रयास 30 तो नीति आयोग अधिकतम ,निर्धारित नहीं है : करता है। प्रतिक्रिया के संदर्भ में विषयवार सेवा मानक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं

क्र.सं .	**प्रदान की गई सेवाएं**	**ग्राहक हितधारक /**	**सेवा मानक कार्य दिवस) (यदि निर्दिष्ट नहीं है**
	अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल)		
1	वेबसाइट पर एटीएल आवेदन बंद होने के दिन से एटीएल आवेदकों की संक्षिप्त सूची की घोषणा	सरकारस्थानीय निकाय या , सोसाइटी / निजी ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित स्कूल (X -VI न्यूनतम ग्रेड)	दिन 90
2	एटीएल आवेदक से सभी वैध दस्तावेज प्राप्त होने के दिन से अनुदान का संवितरण		निधियों की उपलब्धता के अधीन दिन 45
3	एटीएल आवेदक के किसी प्रश्न का उत्तर		दिन 5
	अटल इंक्यूबेशन सेंटर (एआईसी)		

4	वेबसाइट पर एआईसी आवेदन बंद होने के दिन से एआईसी आवेदकों की संक्षिप्त सूची की घोषणा	विश्वविद्यालय ,उद्योग , ामाजिक उद्यम और अनुसंधान संस्थान	दिन 90
5	एटीएल आवेदक से सभी वैध दस्तावेज प्राप्त होने के दिन से अनुदान का संवितरण		निधियों की उपलब्धता के अधीन दिन 45
6	एआईसी आवेदक के किसी प्रश्न का उत्तर		दिन 5
	एनजीओ दर्पण पोर्टल		
7	दस्तावेज़ों के अपलोड हो जाने और प्रत्यय-विशिष्ट / पत्रों के सत्यापन पर पंजीकरण पहचान संख्या प्रदान करना	स्वैच्छिक संगठन गैर / सरकारी संगठन	घंटे 48
8	एनजीओ की जानकारी पत्र-प्रत्यय /जैसे कि पैन नंबरसंपर्क ,पदाधिकारियों , विवरण आदि में परिवर्तन।		दिन 7
9	मूल संस्था के पैन नंबर का प्रयोग करके एनजीओ दर्पण पोर्टल पर साइनअप करने - के लिए मूल संगठन के शाखा कार्यालयों को अनुमति प्रदान करना		दिन 10
10	संगठन के प्रमुख के अनुरोध पर गैर सरकारी संगठनों स्वयंसेवी संगठनों को / नर्प्राप्त / पुरालेखित करना / हटाना करना		दिन 7
	नीति आयोग की अनुसंधान योजना		
11	अनुसंधान अध्ययन के प्रस्तावों की जांच	शैक्षणिक संस्थान ,	दिन 45
12	संगोष्ठी अनुदान के प्रस्तावों की जांच	वायत्त ,अनुसंधान संगठन	दिन 30
13	स्वीकृति पत्र जारी होने और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पहली किस्त जारी करना	थिंक ,परामर्श फर्म ,निकाय टैंक और अन्य	दिन 15
14	अध्ययन बंद होने और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अंतिम किस्त जारी करना		दिन 30
15	लोगो समर्थन के प्रस्तावों की जांच		दिन 15

.5 **शिकायत निवारण और आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन**

5.1 पत्रोंया अन्य पत्राचार की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और ,प्रश्नों ,विवरणों , सीपीजीआरएएमएस के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित तरीके से जवाब देने के लिए एक आंतरिक मौजूद है। जहां तक नीति आयोग द्वारा सीधे प्र (आधारित सीपीजीआरएएमएस पर) प्रणालीाप्त अन्य सभी शिकायतों का संबंध हैकार्य दिवस के भीतर आवेदक को जवाब देने का 30 उनकी जांच करने और , प्रयास किया जाएगा।

5.2 शिकायत निवारण के लिए**in.gov.pgportal//:https** , पर क्लिक करके मौजूदा पोर्टल का प्रयोग किया जा सकता है।

5.3 सूचना का अधिकार अधिन (आरटीआई)ियम के तहत नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत प्रणाली मौजूद है। आरटीआई अधिनियम के तहत स्वतका विवरण जिस ,प्रकटीकरण के लिए कदम भी उठाए गए हैं : **in.gov.niti** नीति आयोग की वेबसाइट अर्थातपर उपलब्ध है। आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए , **in.gov.rtionline//:https**पर क्लिक करके मौजूदा पोर्टल का प्रयोग किया जा सकता है।

.6 **नोडल अधिकारी**

6.1 नीति आयोग ने सार्वजनिक महत्व के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। संबंधित अधिकारियों और उनके समकक्षों का विवरण नीचे दिया गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे शीघ्र जवाब समाधान के लिए अपने प्रश्नों या शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क / करें।

क्र .सं.	विषय	नोडल अधिकारी	पता) कमरा संख्या , नीति आयोग	ईमेल	टेलीफोन
1	आरटीआई अधिनियमसे संबंधित प्रश्न	**श्री सुशील एक्का , उप सचिव**	312	in.nic@ekka.s	23096745
2	शिकायत निवारणसे संबंधित प्रश्न	**श्री जी जगन्नाथ , उप सचिव**	409	g.jagannath@nicin.	23096598

3	अटल नवाचार मिशन से संबंधित प्रश्न	**श्री पीतांबर साहू , प्रमुख) प्रशा(.**	सी035-	in.gov@39.sahoop	23042809
4	डीएमईओ से संबंधित प्रश्न	**श्री राजपाल सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी**	सी021-	in.gov@62.rajpalsingh	23096257
5	अनुसंधान से संबंधित प्रश्न	**श्री कुलवंत राणा, उप सचिव**	401	in.nic@kulwant.rana	23096749
6	एनजीओ दर्पण	**श्री आर एन मुंडे, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी**	321(5)	rn.mundhein.gov@	23042718
7	सतर्कता से संबंधित मामले	**मनोज कुमार गांगेय, निदेशक और सीवीओ**	220A	m.gangeyain.gov@	23096718

7. **लोक शिकायत अपील के लिए नोडल अपीलीय प्राधिकारी**

7.1 लोक शिकायत याचिकाओं के खिलाफ किसी भी अपील के निवारण के लिए नीति आयोग में लोक शिकायत अपील के लिए एक नोडल अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त किया गया है। नागरिकों से अनुरोध है कि यदि वे शीघ्र प्रतिक्रिया/समाधान के लिए अपनी जन शिकायत याचिकाओं को दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो वे नोडल अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क करें।

नोडल अधिकारी	**पता) कमरा संख्या ,नीति आयोग**	**ईमेल**	**टेलीफोन**
श्री प्रेम सिंह, सलाहकार	232	prem.bogzi@ias.nic.in	23096816